

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) कोटा संभाग
अनापत्ति प्रमाण पत्र


निम्नलिखित कार्मिकों के द्वारा ऑन लाइन प्राप्त आवेदनानुसार इन्हें कॉलम संख्या 6 में अंकित परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति /कार्योत्तर स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क.स.	नाम	पद	पदस्थापन	जन्मतिथि	परीक्षा जिसके लिए स्वीकृति जारी की गयी है
1	निति शर्मा	वरिष्ठ अध्यापक	राउमावि कोटा रोड़ बांरा सिटी	21.07.1976	राजस्थान लोक सेवा आयोग ,अजमेर सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा 2020
2	लक्ष्मी कुमारी वर्मा	वरिष्ठ अध्यापक	राउमावि अरण्डखेड़ा लाड़पुरा कोटा	01.07.1990	राजस्थान लोक सेवा आयोग ,अजमेर सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा परीक्षा 2020-21
3	प्रिंस अभिनव	वरिष्ठ अध्यापक	राउमावि छबड़ियों का नया गांव हिण्डोली बून्दी	20.02.1988	राजस्थान लोक सेवा आयोग ,अजमेर एसीएफ एंड एफआरओ 2018
4	अरविंद कुमार रायका	वरिष्ठ अध्यापक	राउप्रावि हाथोली इटावा कोटा	01.07.1991	राजस्थान लोक सेवा आयोग ,अजमेर सहायक आचार्य हिंदी कॉलेज शिक्षा 2020
5	भवानी सिंह गुर्जर	वरिष्ठ अध्यापक	राउमावि बिलेन्दी छिपाबड़ोद बांरा	05.02.1989	राजस्थान लोक सेवा आयोग , अजमेर कॉलेज व्याख्यता हिन्दी 2020-21
6	राधेश्याम सैनी	वरिष्ठ अध्यापक	राउमावि सरोद भवानीमंडी झालावाड़	08.11.1990	राजस्थान लोक सेवा आयोग ,अजमेर सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा 2020
7	मुकेश रैगर	वरिष्ठ अध्यापक	राबाउमावि भवानीमंडी झालावाड़	01.01.1982	राजस्थान लोक सेवा आयोग ,अजमेर प्रशासनिक सेवा 2021
8	रवि प्रकाश गौतम	वरिष्ठ सहायक	राबाउमावि नयापुरा बाग कूटा	05.12.1989	राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन आयोग जयपुर जूनियर इंजिनियर इलेक्टिकल डिप्लोमा होल्डर यूडीएच डिपार्टमेंट 2021-22
9	राजाराम भीणा	वरिष्ठ अध्यापक	राउमावि कुमठिया डग झालावाड़	01.07.1992	संघ लोक सेवा आयोग , नई दिल्ली 2021-2022
10	टिटू कुमार	वरिष्ठ सहायक	राउमावि देईखेड़ा के.पाटन बून्दी	21.02.1989	संघ लोक सेवा आयोग , नई दिल्ली 2021-2022

राजस्थान सिविल सेवाएं आचरण नियम,1971 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18.11.2006 के द्वारा निर्धारित शर्तें:-

1. प्रत्येक वर्ष/परीक्षा के लिए अलग-अलग अनुमति लेनी होगी।
2. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना परीक्षा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृति नहीं किया जावेगा।
4. इनका इनका चयन उक्त सेवा में हो जाता है तो इन्हें विभाग से पुनः पूर्व अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य है।

उपरोक्त कार्मिकों को उक्त शर्तों के अध्याधीन निर्देशित किया जाता है कि परीक्षा में भाग लेने की दी गई अनुमति की विभाग द्वारा समीक्षा एवं उनके शिक्षण संस्थानों से उनकी उपस्थिति इत्यादि के संबंध में जानकारी प्राप्त की जावेगी। यदि कार्मिक शैक्षणिक संस्थानों के अनिवार्य वांछित शर्तों के साथ-साथ अध्ययन की स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उनके द्वारा धारित की गई डिर्गी /प्रमाण पत्र को अभिलेख पर नहीं लिया जावेगा और अपचारी कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी।


संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)


कोटा संभाग ,कोटा

दिनांक : 8-03-2022

कमांक:सनि/स्कूल शिक्षा/को/संस्था-3/परी.स्वी/2021/1471

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक) कोटा/बांरा/बूंदी/झालावाड़।
2. संबंधित संस्था प्रधान।
3. संबंधित कर्मचारी।
4. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
कोटा संभाग ,कोटा